## दिल्ली विवान सभा सिचवालय समाचार भाग-2

१ विषायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी १ बुधवार २९ अगस्त, २००। / भाद्रपद ८, १९२३ १ शक १

संख्या : 163

## सदस्यों की नजरबन्दी पर्व रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विकान सभा को थाना आई॰ पी॰ इस्टेट दिल्ली, का निम्नलिखित सैदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य सर्व श्री हरतरण सिंह बल्ली, ब्रहम सिंह तंवर व श्री अविनाश साहनी को 10.08.2001 को 1220 बजे दिल्ली पुलिस के अधिनियम 1978 की धारा-65 के अतंगत पुलिस के विधि समत निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण नज़रबन्द किया गया।

उन्हें वहीं से उसी दिन अर्थात 10.08.2001 को 1300 बजे

सिढां र्यराव कार्यवाहक सचिव

## DELHI LEGIDLSTIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETION PART—II

(General information relating to Legislative & other matters )
Wednesday 29, August, 2001/Bhadarpad 8,1923(Saka)

No.163

## DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from P.S., I.P. Estate, Delhi.

"I have the honour to inform you that S/Sh. Harsharan Singh Balli, Brahm Singh Tanwar & Avinash Sahni MLAs were detained u/s 65 of Delhi Police Act 1978 for disobeying the lawful direction of Police at 1220 hrs on 10th August, 2001.

They were released at 1300 hrs from the same place on the same day i.e 10.8.2001.\*\*

SIDDHARATH RAO OFFICIATING SECRETARY